न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 22/2025

जी.सी.एम.एस. : 2025/205

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
सुरेश कुमार पुत्र मोतीराम जाति मेघवंशी निवासी सिसरवादा तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।		1. बुधाराम पुत्र मोतीराम जाति मेघवंशी निवासी सिसरवादा तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान। 2. तहसीलदार भूमिधारक सोजत तहसील सोजत जिला पाली 3. जितेन्द्र पुत्र नारायणलाल जाति मेघवाल निवासी मेघवालों का बास भैषाणा तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।

"अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955"

उपस्थित :–

1. अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र चौधरी।
2. रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह राजपुरोहित।
3. रेस्पोडेण्ट संख्या 2 की ओर से सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

–: निर्णय :–

दिनांक:– 28/01/2026

अपीलाण्ट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत तहसीलदार सोजत द्वारा आपसी सहमति बंटवाड़ा पर पारित आदेश दिनांक 30.10.2024 के विरूद्ध पेश की है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलाण्ट ने दौराने बहस अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया ग्राम सिसरवादा के खसरा संख्या 344/1 रकबा 0.7700 हैक्टेयर कृषि भूमि अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के पिता मोतीराम की खातेदारी कब्जा काश्त की आई हुई है। मोतीराम फौत हो जाने पर अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1 का बराबर हक हिस्सा जैर आराजी में निहित हुआ और उसी अनुसार काबिज थे। मोतीराम के स्वर्गवास के पश्चात् उसका फौतेदगी नामान्तरकरण दर्ज करवाना शेष था। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अपीलाण्ट को फौतेदगी नामान्तरकरण दर्ज करवाने का कहकर जैर आराजी में दोनों भाईयों का नाम दर्ज करवाने हेतु कुछ कागजात पर अपीलाण्ट के मात्र हस्ताक्षर करवाये और उसी के आधार पर बंटवाड़ा कर दिया जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने न तो मौके

अति. जिला कलेक्टर पाली

की जांच की और न ही अपीलाण्ट को सूचित किया एवं उसी रोज दिनांक 30.10.2024 को ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। उक्त विधिविरूद्ध आदेश की आड़ में दिनांक 06.11.2024 को नामान्तरकरण दर्ज किया गया और रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अपीलाण्ट के हक हिस्से की भूमि को बिना किसी उचित आधार के रेस्पोडेण्ट संख्या 3 को दिनांक 21.11.2024 को बेचान कर दिया। रेस्पोडेण्ट संख्या 3 के द्वारा दिनांक 15.06.2025 को जैर आराजी पर हक जताने पर अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई और नियत समय में उक्त अपील पेश की गई, जिसे अन्दर म्याद शुमार फरमाते हुये विधिविरूद्ध तरीके से स्वीकृत अपीलाधीन आदेश को अपास्त फरमावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 3 ने दौराने बहस अधिवक्ता अपीलाण्ट के कथनों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि उक्त आदेश का सहमति का बंटवाड़ा है और सहमति के बंटवाड़े की अपील नहीं हो सकती इसलिये उक्त अपील चलने योग्य नहीं है। रेस्पोडेण्ट के पिता का फौतेदगी नामान्तरकरण वर्ष 2014 में दर्ज करवाया गया था और माता की मृत्यु के पश्चात पुनः नामान्तरकरण दर्ज करवाने हेतु अपीलाण्ट स्वयं द्वारा प्रार्थना–पत्र पेश किया गया था। अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1 की सहमति से तहसीलदार, सोजत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुये उसके पश्चात् अपीलाधीन आदेश जारी किया गया। उक्त आदेश की अपीलाण्ट को शुरूआत से ही जानकारी थी, जो कि पूर्णतया म्याद बाहर है। अपीलाण्ट स्वयं ने उक्त सहमति बंटवाड़ा करवाया है और समस्त दस्तावेजों पर उनके हस्ताक्षर भी है। अपीलाण्ट ने बिना किसी विधिक आधारों के जैर अपील पेश की है, जिसे निरस्त फरमावे।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि उभयपक्ष की सहमति से अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधिक प्रावधानों के अनुसार है, जिसे निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन करते हुये सम्पूर्ण पत्रावली मय दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अन्तर्गत धारा 225, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत तहसीलदार सोजत द्वारा आपसी सहमति बंटवाड़ा पर पारित आदेश दिनांक 30.10.2024 के विरूद्ध पेश की है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को अन्दर म्याद शुमार करने हेतु परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया। प्रकरण में प्रथम विधिक बिन्दु यह परिलक्षित होता है कि "प्रश्नगत अपील पर परिसीमा अधिनियम, 1963 के प्रावधान बाध्यकारी पाये जाते है अथवा अपील प्रस्तुत किए जाने में हुआ विलम्ब सद्भावी है ?" इस बिन्दु को अपने पक्ष में सिद्ध किए जाने हेतु अधिवक्ता अपीलाण्ट ने म्याद प्रार्थना–पत्र में यह तथ्य अंकित किया कि दिनांक 15.06.2025 को रेस्पोडेण्ट संख्या 3 के द्वारा जैर आराजी पर आकर अपना हक जताने पर अपीलाण्ट द्वारा रेस्पोडेण्ट को पुछने पर विक्रय विलेख एवं बंटवाड़ा होने का कथन किया तब अपीलाण्ट द्वारा राजस्व रेकर्ड की प्रमाणित प्रति दिनांक 20.06.2025 को प्राप्त करने पर अपीलाधीन आदेश जानकारी में आया, इस कारण अपील जानकारी के पश्चात् अन्दर म्याद पेश है। अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने विपक्षी अधिवक्ता के उक्त तथ्य का खण्डन करते हुये निवदेन किया कि अपीलाण्ट की सहमति एवं अधीनस्थ न्यायालय में स्वयं की उपस्थिति में उक्त आदेश पारित किया गया जिसकी जानकारी उन्हें शुरू थी अतः उक्त अपील म्याद बाहर है। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलबध दस्तावेजों से यह प्रकट होता है कि ग्राम सिसरवादा की जमाबन्दी

अति. जिला कलेक्टर, पाली

सम्वत् 2066–2069 के अनुसार खसरा संख्या 324 एवं 344/1 में खातेदार मोतीराम जाति मेगवंशी सा. देह खातेदार दर्ज था तथा उसमें अंकित नोट के अनुसार मोतीराम की मृत्यु के पश्चात् नामान्तरकरण संख्या 641 दिनांक 10.04.2013 के माध्यम से विरासत से बुदाराम, सुरेश कुमार एवं पानीदेवी का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया, जो कि जमावन्दी सम्वत् 2070–2073 से स्पष्ट है। अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1 की माता पानीदेवी पत्नी मोतीराम की मृत्यु दिनांक 27.04.2018 को हुई तथा माता के देहान्त के पश्चात् स्वयं अपीलाण्ट सुरेश कुमान ने हल्का पटवारी के समक्ष लिखित प्रार्थना–पत्र, शपथ पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र पेश कर यह उल्लेख किया कि ग्राम सिसरवादा के खसरा संख्या 344/1 में माता पानीदेवी की भूमि आई हुई है तथा उनके विधिक वारिसान बुधाराम एवं सुरेश कुमार है, अतः उक्त भूमि का वारिसान के नाम नामान्तरकरण खोला जाए। इस नामान्तरकरण के स्वीकृत होने के पश्चात् खसरा संख्या 344/1 में दोनों भाइयों के नाम 1/2–1/2 हक हिस्से अनुसार दर्ज हो गये। उपरोक्त घटनाक्रम से यह तथ्य सिद्ध होता है कि अपीलाण्ट को पिता की मृत्यु, पिता के नामान्तरकरण, माता के नाम दर्ज भूमि तथा सम्पूर्ण राजस्व स्थिति की पूर्ण जानकारी थी क्योंकि यदि अपीलाण्ट को पिता के नामान्तरकरण की जानकारी नहीं होती, तो वह माता की विरासत के नामान्तरकरण हेतु इस प्रकार का स्पष्ट आवेदन नहीं कर सकता था। इसके पश्चात् अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के द्वारा वर्ष 2024 में आपसी सहमति से उक्त बंटवाड़ा दर्ज करवाया, जिस पर दोनों के हस्ताक्षर है एवं अधिवक्ता अपीलाण्ट ने भी यह स्वीकार किया कि पिता के नामान्तरकरण का कहकर हस्ताक्षर करवाये गये अर्थात् बंटवाड़े पर हस्ताक्षर स्वयं अपीलाण्ट के है, साथ ही अपीलाण्ट को अपने पिता के पक्ष में वर्ष 2013 में स्वीकृत नामान्तरकरण की जानकारी होना उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं शपथ–पत्र दिनांक 01.10.2024 से प्रमाणित है। अतः उपुर्यक्त समस्त तथ्यों से यह साबित होता है कि अपीलाण्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी शुरू से ही थी, परन्तु अपीलाण्ट ने जैर अपील में अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 20.06.2025 को सर्वप्रथम बार होने का कथन किया है, जो प्रथमदृष्टया मिथ्या साबित होता है।

जहां तक अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के शमन का प्रश्न है, तो इस बिन्दु पर विभिन्न न्यायालयों द्वारा समय–समय पर अपने निर्णयों में व्यवस्थाऐं प्रदान की हैं। इस सम्बन्ध में आर.आर.टी. 2007 (2) पेज 939 डी. गोपीनाथ पिल्लई बनाम स्टेट ऑफ केरल में यह प्रतिपादित किया कि "परिसीमा अधिनियम 1963–धारा–विलम्ब का उपशमन–अपील पेश करने में 3320 दिन का असाधारण विलम्ब–उचित रूप से एवं सन्तोषप्रद ढंग से विलम्ब स्पष्ट नहीं किया – सहानुभूति आधारों पर न्यायालय विलम्ब उपशमन नहीं कर सकता – असाधारण विलम्ब उपशमन हेतु कारण नहीं दिये गये – निर्णीत, आदेश संहवनीय नहीं है व अपास्त किया।" इसी प्रकार RRD May, 2007 page 311 में यह प्रतिपातिदत किया कि Limitation Act, Section 5-C.P.C., Section 100-delay in filling secong appeal-judgment passed by first appellate court on 16-08-2003-Appeal field by appellant on 19-12-2003 claiming knowledge of judgment on 07.12.2003 No explanation given for not filling appeal immediately-Held, appellant was taking the matter leisurely and at his own convenience-Delay, not condoned. इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आर.आर.टी. 2015 (1) पेज 232

अति. जिला कलेक्टर पाली

भानूप्रतापसिंह बनाम श्रीमति घनश्याम कुमारी व अन्य में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "परिसीमा अधिनियम 1963–धारा–5–सिविल प्रक्रिया संहित 1908 – धारा 96 – विलम्ब का शमन – अपील पेश करने के 271 दिनों का विलम्ब – विभाजन तथा कब्जा हेतु वाद – 271 दिनों के विलम्ब के लिये सम्याभासी कारण नहीं बताया गया। मियाद बाधित होने से अपील खारिज की गई।" इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर.आर.टी. 2014 (2) पेज 1331 में प्रतिपादित किया कि परिसीमा अधिनियम, 1963 धारा 5 – विलम्ब का शमन, एस.एल.पी. पेश करने में 481 दिनों का विलम्ब – आधार लिया कि पत्रावली के एक विभाग/अधिकारी से दूसरे में आने के कारण विलम्ब हुआ, पर्याप्त एवं ठोस आधार नहीं – विलम्ब शमन हेतु मामला नहीं बनता है।" उपरोक्त सिद्धान्त हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतः चस्पा होते है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत ऐसा कोई ठोस कारण दर्शित नहीं किया है, जिस पर यह विश्वास किया जा सके कि अपीलाण्ट को जैर अपील नामान्तरकरण की जानकारी नहीं रही हो तथा उक्त कारण के आधार पर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन किया जा सके। प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से यह पूर्णतः स्पष्ट है कि अपीलाण्ट को जैर अपीलाधीन आदेश की जानकारी शुरू से ही थी, उसके उपरान्त भी उनके द्वारा हस्तगत अपील लगभग 8 माह की देरीना से न्यायालय में पेश की और उक्त देरीना का कोई सन्तोषप्रद कारण भी पेश नहीं किया। इस कारण परीसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य सद्भाविक न होकर अपील हाजा पर बाध्यकारी पाए जाते है। तद्नुसार अपील हाजा परिसीमा अधिनियम, 1963 के प्रावधानों से बाधित होने के कारण सुनवाई योग्य प्रतीत नहीं होती है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् से यह साबित है कि अपीलाण्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी शुरूआत से ही थी परन्तु अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत अपील के संलग्न परिसीमा अधिनिमय, 1963 की धारा 5 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में जो आधार अंकित किए है, वे प्रथदृष्टया ex facie falls कथन है। यहां पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त 2010 DNJ (SC) Page 294 Oriental Aroma Chemical Industried Ltd. vs Gujarat Industrial Development Coroporation & Anr. में प्रतिपादित सिद्धान्त को उद्धत करना समीचीन प्रतीत होता है, जिसमें यह व्यवस्था प्रदान की है "Limitation Act, 1963-Sec. 5-Condonation of delay-Delay of more than 4 years in filling appeal-Delay condoned-Dispute of levy of minimum charges for water for the period between 1978 and 16.4.2001-Respondent defendant did not appear and no written statement filed-Suit decreed on 30.10.2004-Appeal against the judgment filed after 4 years-Specific mention of decree dt. 30.10.2004 in 2nd suit in the year 2005 and after service of notice respondent did not appear and suit decreed ex parte on 12.12.2007-Respondent tried to misled the Court-Statement made by respondent is not only incorrect but is ex facie faise and High Court committed error in condoning the delay-Held, Order set aside and appeal stand dismissed being time barred. यह सिद्धान्त हस्तगत प्रकरण के तथयों पर पूर्णतया चस्पा होते है क्योंकि न्यायालय के समक्ष गलत तथ्यों के आधार पर कोई अनुतोष प्राप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि अपीलाण्ट न्यायालय के समक्ष सद्भाविक एवं साफ हाथों से नहीं आये है, बल्कि गलत तथ्यों पर आधारित म्याद अवधि

अति. जिला कलेक्टर, पाली

का शमन किये जाने का आवेदन पत्र पेश किया है। न्यायालय में सत्य का महत्व सबसे ऊपर होता है। अगर कोई पक्षकार या उसका अधिवक्ता जानबूझकर गलत तथ्य प्रस्तुत करता है, तो यह न्यायालय को गुमराह करना माना जाता है। ऐसा करना न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग (abuse of process of law) माना जाता है। विभिन्न न्यायालयों ने कई बार यह निर्णय दिया है कि यदि कोई याचिका या अपील झूठ पर आधारित हो, तो उसे खारिज किया जा सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कई मामलों मे यह कहा है कि "He who comes to the court must come with clean hands." जब कोई पक्ष न्यायालय से उचित न्याय चाहता है तो उसका परम कर्त्तव्य है कि वह "clean hands." सिद्धान्त के अन्तर्गत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आये। यदि पक्षकार ने अपने पक्ष में राहत हेतु जरूरी तथ्यों को जान–बूझकर छपाया है, तो वह equity और discretionary jurisdiction का दावा खो देता है। ऐसी याचिका बिना अच्छे कारण पर विचार किए ही खारिज की जा सकती है। माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त S.J.S. Business Enterprises vs. State of Bihar (2004)/Arunima Baruah vs. Union of India (2007) के अनुसार जहां सच्चाई छिपाई गई है और वह तथ्य मामले के निर्णय को प्रभावित कर सकता है, तो न्यायालय discretionary relief देने में सक्षम नहीं होता क्योंकि पक्षकार स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं आये है।

प्रकरण को यदि गुणावगुण पर देखा जाता है तो यह पाते है कि अपीलाण्ट तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के द्वारा तहसीलदार सोजत के समक्ष आपसी सहमति बंटवारा हेतु आवेदन पेश किया गया जिस पर स्वयं अपीलाण्ट, रेस्पोडेण्ट संख्या 1 तथा दो गवाहों के हस्ताक्षर दर्ज है। उक्त प्रार्थना पत्र में लाल स्याही से नये खातेदारों का नाम, प्रस्तावित आराजी नम्बर, क्षेत्रफल तथा उसकी किस्म भी अंकित है। यह तथ्य इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि बंटवाड़े की कार्रवाई स्वेच्छा एवं पूर्ण सहमति से प्रारम्भ की गई तथा लाल स्याही से अंकित तथ्य यह दर्शाते है कि अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1 को बंटवाड़े की प्रकृति, उसका परिणाम तथा राजस्व अभिलेखों पर पड़ने वाले प्रभाव की पूर्ण जानकारी थी। उक्त प्रार्थना–पत्र की पुश्त पर जैर आराजी खसरा संख्या 344/1 का आपसी सहमति से प्रस्तावित बंटवाड़े का नक्शा बनाया गया तथा खातेदारों के पक्ष में आने वाली भूमि को अंकित किया गया, जिस पर तहसीलदार, भू.अ.नि. पटवारी, खातेदार अपीलाण्ट, रेस्पोडेण्ट संख्या 1 तथा गवाहों के हस्ताक्षर मौजूद है। यह तथ्य इस बात की पुष्टि करता है कि बंटवाड़ा मौके पर निरीक्षण के बाद, राजस्व अधिकारियों की उपस्थिति में, विधिवत प्रक्रिया अपनाकर किया गया। इसके अतिरिक्त पटवारी हल्का रिपोर्ट में भी प्रस्तावित कब्जा काश्त एवं नजरी नक्शा अंकित है। यह रिपोर्ट स्वतत्रं राजस्व कार्मिक द्वारा प्रस्तुत की गई, जिससे प्रक्रिया की निष्पक्षता एवं वैधानिकता सिद्ध होती है। इसके पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगणों का खाता, खसरा संख्या, रकबा का विभाजन प्रार्थीगणों की सहमति के अनुसार स्वीकृत किया और उसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद के आदेश जारी किये अर्थात् उक्त आदेश किसी एकतरफा कार्रवाई का परिणाम नहीं होकर पक्षकारों की संयुक्त सहमति पर आधारित है। सम्पूर्ण कार्यवाही के दौरान अपीलाण्ट ने न तो कोई आपत्ति दर्ज करवाई, न ही किसी प्रक्रिया को गलत बताया। इसके अतिरिक्त बंटवाड़े में दोनों पक्षों को समान रकबा प्रदान किया गया, इससे यह स्पष्ट होता है कि अपीलाण्ट पूर्णतः संतुष्ट था और बाद में झुठे तथ्यों के आधार पर हस्तगत अपील पेश

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर पाली

की। इससे यह साबित होता है कि जैर आराजी के खातेदारों द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया और उस प्रार्थना पत्र पर सम्पूर्ण प्रक्रिया अपनाई जाकर उभयपक्ष की सहमति एवं गवाहों की मौजूदगी में यह आदेश पारित किया गया है, जो कि विधिनुसार है। उक्त सहमति बंटवाड़े के आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1161 दिनांक 08.11.2024 के अनुसार दो अलग अलग खसरे स्वीकृत किये गये जिसमें खसरा संख्या 982/344 बुधाराम तथा खसरा संख्या 983/344 अपीलाण्ट सुरेश कुमार के नाम बतौर खातेदार दर्ज किया गया। प्रकरण में रेस्पोडेण्ट संख्या ने खसरा संख्या 982/344 की भूमि को जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 21.11.2024 को रेस्पोडेण्ट संख्या 3 को विक्रय कर दी। इस प्रकार जैर आराजी में तृतीय पक्ष के अधिकार विधिवत् सृजित हो चुके है, जिन्हें अपीलाण्ट के झूठे एवं विलम्बित आरोपों के आधार पर प्रभावित नहीं किया जा सकता। उपरोक्त समस्त तथ्यों से यह सिद्ध होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधिनुसार प्रक्रिया अपनाते हुये पक्षकारों की सहमति से अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसमें कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। अपीलाण्ट केवल झूठे कथनों के आधार पर उक्त सहमति बंटवाड़े को निरस्त करवाना चाहते है जो स्वीकार्य नहीं है। इन समस्त तथ्यों एवं न्यायिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए गुणावगुण पर भी अपील में बल नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम, 1963 के तहत अवधि बाधित होने एवं गुणावगुण पर विधिक प्रावधानों के अनुकूल नहीं होने से खारिज की जाती है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 28/01/2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर पाली